न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख दायरा
03.07.2024

तारीख फैसला
15/9/25

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1 नरेन्द्र आत्मज श्याम लाल जाति लोधा

2 हेमराज आत्मज रामचरण जाति लोधा
निवासीगण नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

1 रामदेव आत्मज चतरा जाति लोधा निवासी नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री ललित किशोर मालव एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

2– यह कि ग्राम नीमोदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 2420/741 की 0–64 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सलंग्न है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त भूमि को 1/2, 1/2 हिस्से से काश्त कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है।

4 यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 का प्रार्थीगण की उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है तथा उक्त भूमि से उसका किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ओर प्रार्थीगण ही उपरोक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि प्रतिपक्षी नं० 1 उक्त भूमि के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने आमादा रहते है ओर प्रार्थीगण के मना करने पर लडाई झगडा करते रहते है तथा प्रार्थीगण को धमकी दी है कि व उक्त भूमि में रास्ता कायम करके रहेगे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की धमकी दी जिसका कि प्रतिपक्षी नं० 1 को कोई अधिकार नहीं है।

6— यह कि दिनांक 1—6—2024 को प्रार्थीगण अपने खेत में बुआई करने गये तो वहां प्रतिपक्षी नं० 1 आ गया ओर प्रार्थीगण को खेत में बुआई करने मना करते हुये झगडा फिसाद किया तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि में रास्ता निकालने व भूमि से बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तथा प्रार्थीगण की भूमि में रास्ता निकाल लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा।

7. यह कि प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी गण ग्राम नीमादा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 2420/741 की 0—64 हेक्टर भूमि पर प्रार्थीगण को काश्त करने में दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीगण को उक्त भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। उसके किसी भाग की भूमि से बैदखल नहीं करे। उक्त भूमि में किसी प्रकार का रास्ता कायम नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधी से करावें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है —

1— नकल जमाबन्दी ग्राम नीमोदा सम्वत 2075—2078, खाता सं0 545

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।' प्रतिपक्षीगण 1 ता 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:—

1— यह कि प्रार्थीगण के मन में बदनियति आने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी खसरा न0 2420/741 में होकर ही अपनी आराजी पर आता जाता है और खेती करता है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

कि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रमाणित अप्रार्थी ख0न0 2420/741 में होकर ही अपनी आराजी पर आना जाना रहा है और खेती करता है इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

3 यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के खेत पर आने जाने वाले रास्ते को ताला लगाकर बंद कर दियाहै जिससे अप्रार्थी को खेती करने मे काफी समस्या का सामना करना पड रहा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

4 यह कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 251 RT Act मे रास्ते के लिए तहसीलदार दीगोद के यहा आवेदन किया है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए खारिज होने योग्य है।

5 यह कि अप्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य रास्ता नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सब्बय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण मे उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज है किन्तु तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त खसरा न0 की तरमीम के दौरान 10 मीटर चौडी चारागाह भूमि जो कि पूर्व से ही रास्ते के उपयोग में आ रही थी भी ख0न0 2420/741 में अंकित हो गई जिससे रास्ते का विवाद उत्पन्न हुआ। अतः प्रकरण को प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं कहा जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

ा का सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सुविधा का न उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के सार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त सहखातेदारी में नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत रण में विवादित आराजी प्रार्थीगण के कब्जे में है किन्तु गलत तरमीम के कारण ागाह भूमि जो कि रास्ते के उपयोग में आती थी पर भी प्रार्थीगण का कब्जा हो गया कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

ूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा ान नहीं किये जाने अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने या इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो ो प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थीगण के ब्जे में है किन्तु गलत तरमीम के कारण चारागाह भूमि जो कि रास्ते के उपयोग में आती पर भी प्रार्थीगण का कब्जा हो गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट 10 मीटर चौडी ारागाह भूमि को छोडकर नक्शा लट्ठा एवं ऑनलाईन नक्शें में किया जाना उचित है। का स्थिति पर भी रास्ते को छोडकर ही प्रार्थीगण हेमराज व नरेन्द्र द्वारा काश्त की जा ही है। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

परोक्त समस्त विवेचन से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार यह प्रार्थी का प्रथम ष्ट्या मामला नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई षेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है साथ ही देशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित 10 मीटर चौडी चारागाह भूमि जो कि पूर्व में म रास्ते के उपयोग में आ रही थी पर कोई भी पक्ष अतिक्रमण नहीं करेगा।

निर्णय आज दिनांक 15/9/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद